



मे रास्ते सडक के रूप मे अभिलिखित नही है, को रास्ते के रूप में दर्ज करने के निर्देश प्रदान किये गये है, रास्ते की भूमि संबंधित खातेदार के नाम ही यथावत दर्ज रहेगी।

प्रार्थी राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन एवं समूची स्थिति पर विवेचन किया गया उक्त प्रकरण राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प3(2)राज-6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.8.2016 के द्वारा राजकीय भूमि/खातेदारी भूमि मे वर्तमान मे चल रहे, 'बारहमासी रास्ते/ ग्रेवल सडक/ डामर सडक जो राजस्व रेकर्ड मे रास्ते मे रास्ते सडक के रूप मे अभिलिखित नही है, मौके पर पुराने समय से रास्ता चालू हालत मे मौजूद है तथा आम पब्लिक इस रास्ते को आवागमन के उपयोग/उपभोग मे ले रहे है। रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना उचित है। रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है। हल्का पटवारी ने भी मौके पर रास्ता चालू हालत मे होने की ताईद की है व कोई आपत्ति जाहिर नही की है। भूमि धारक तहसीलदार पचपदरा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने का कोई आधार पत्रावली पर नही है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार पचपदरा की ओर से ग्राम में रास्ता कटान हेतु के ग्रामों ढाणियों व मजरो के अवरुद्ध रास्ते के लिए जोड़ने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करना न्यायोचित होने से तथा मौके पर चल रहे रास्ते जिसका अंकन/तरमीम नक्शा लट्टा ट्रेस मे तरमीम का आदेश जारी करना न्यायोचित प्रतीत होता है।

प्रार्थी तहसीलदार पचपदरा के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र को स्वीकार कर ग्राम में पडोस के ग्रामों ढाणियों व मजरो के अवरुद्ध रास्ते को जोड़ने वैकल्पिक रास्ता वर्तमान में चल रहा है, जिसे है। ग्राम मेवानगर के खसरा नम्बर 131 रकबा 3<sup>1</sup>-04 बीघा में से 1-08 बीघा, खसरा नम्बर 154 रकबा 35-06 बीघा में से 01-00 बीघा, खसरा नम्बर 152 रकबा 11-18 बीघा में से 0-04 बीघा, खसरा नम्बर 1566/156 रकबा 27-13 बीघा में से 0-17 बीघा, खसरा नम्बर 1565/156 रकबा 26-10 बीघा में से 0-08 बीघा, रास्ते हेतु प्रभावित प्रस्तावित नजरी नक्शा रास्ता बरंग लाल मुताबिक तरमीम एवं शेष रही भूमियों का विवरण तरमीम खतोनी परिशिष्ट 'अ' के अनुसार राजस्व रेकर्ड में अंकन करने का आदेश तहसीलदार पचपदरा को दिये जाते है, उक्त रास्ते का रकबा पूर्ववत अनुसार संबंधित खातेदार के नाम खाते से ही दर्ज रहेगा। तरमीम खतोनी परिशिष्ट 'अ' एवं प्रस्तावित नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 07.12.2021 को केम्प कोर्ट मेवानगर में मजमें आम में सुनाया गया।

(नरेश सोनी)  
पीतरीन अधिकारी (नरेश सोनी)  
बालोतरा प्रशासनिक अधिकारी,  
केम्प ग्राम पंच. (एसडीओ) बालोतरा